

18.2.16 - पत्रावली पेश हुई। वकील हजरत हाजिर। वारंटे पेश
जोषाब मिसल दिनांक 18.4.16 को पेश है।

18.4.16 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके

द्वार अपिचल 2016 को तहत राजस्व देन में

दिनांक 2.5.16 ग्राम पंचायत

को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

9.5.11 पक्षकारान उम/अनु/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी
उम/अनु/पत्रावली लोक अदालत में पेश
हुयी। पक्षकारान में समझाईस की गयी।
परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली
सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जावे
दिनांक 11.7.16 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

9.8.5.16

द्वार अपिचल 2016

दिनांक 10.6.16

को पेश है।

10.6.16

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के वकील हाजिर। ग्राम छिडला
की जमाबंदी संवत् 2069-72 खाल सं. नया पुराना 251-244
खसरा नम्बर 1096 दसबा 21-12-00 बीघा, गधा बका रामदेव,
जोकल, हजारी, किरान लाल, सौरभ पिला रामदेव जौम चमार
साथ देह के नाम दर्ज हैं। माथी असाधीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाषण्ड लगसला दावा करवाना चाहता है।

पक्षकारान के वकीलों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेज का अकलौकन किया, अकरण में सान्नी विरुद्ध विद्यमान
है। असाधीगण का आराजी लखनगर से कोई लेना देना नहीं है।
जोषाब अकरण का अकलौकन किया गया। तारिफाती - असाधीगण के
पाषण्ड जरिये असाधी निषेधाज्ञा लगसला दावा किया जाता है कि
के लिये उनके मोटर चालर स्पेक्ट कर्मचारी अधिनस्थ मुखलवार
आदि को अस्थायी असाधी काड कर्गल आराजी के माथी के कृष्ण कोदल
उपयोग उपभोग से बाधा उत्पन्न नहीं करे। ना ही खुई बुई करे।
ना ही निर्माण करे। आराजी में जखन मंश नहीं करे। हड अधिकारी

का तदन मूलकाड से रुय होया

अपदेश करे इजलास सुनाया गया।